

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/अनु-3/मा.द/2022-23/पत्राचार / 1552 जयपुर दिनांक: 17 MAY 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय - ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में।

प्रसंग -संयुक्त निदेशक, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, के पत्र क्रमांक S-18011/11/2020-SBM-III-DDWS दिनांक 27.04.2022

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.04.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 में, पैरा 4 के उप पैरा (1) की मद (2) में, उप-मद (VI) के पश्चात निम्नलिखित उप-मदें अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(vii) व्यक्ति के लिये बायो-गैस संयंत्र का संनिर्माण, और

(viii) समुदाय के लिये बायो- गैस संयंत्र का संनिर्माण अकुशल मजदूरी घटक हेतु।


कृपया तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि एवं आयुक्त, ईजीएस।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
6. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त जिला परिषद राजस्थान।
7. श्री रिंकू छीपा, प्रोग्रामर ईजीएस को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली


प्रि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234991
CG-DL-E-08042022-234991

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1636]
No. 1636]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

का.आ. 1719(अ).—केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 1 में, पैरा 4 के उपपैरा (1) की मद (2) में, उप-मद (vi) के पश्चात् निम्नलिखित उप-मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(vii) व्यक्ति के लिए वायो-गैस संयंत्र का संनिर्माण; और

(viii) समुदाय के लिए वायो-गैस संयंत्र का संनिर्माण अकुशल मजदूरी घटक हेतु।

[फा. सं. जे-11017/01/2022-आरडू-VII]

रोहित कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 1 संख्यांक का.आ. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा पहली बार संशोधित की गई थी और संख्यांक का.आ. 4598(अ), तारीख 3 नवंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2022

S.O. 1719(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments in the Schedule-I to the said Act, namely:-

In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, in Schedule I, in Paragraph 4, in sub-paragraph (1), in item (II), after sub item (vi) the following sub-items shall be inserted, namely:-

- (vii) construction of bio-gas plant for individual; and
- (viii) unskilled wage component towards the construction of bio-gas plant for community.

[F. No. J-11017/01/2022-RE-VII]

ROHIT KUMAR, Jt. Secy.

Note : SCHEDULE 1 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide number S.O. 323(E), dated the 6th March, 2007 and lastly amended vide number S.O. 4598(E) dated the 3rd November, 2021.